

शीर्षक: केन्टीन सेवा संचालन

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर

निविदा फार्म



निविदा संदर्भ संख्या क्रमांक:-एफ-49(10)टेन्डर/केन्टीन/2015-16/पार्ट-III/११०४ दिनांक १६/९/१६

निविदा कार्य का नाम: राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर में केन्टीन कार्य हेतु निविदा



निविदा अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा सूचना	3
2.	निविदादाता हेतु निर्देश	4-8
3.	निविदा फार्म चैक लिस्ट संलग्नक "A"	09-10
4.	निविदा फार्म संलग्नक "B"	11-12
5.	निविदा की शर्ते एवं नियम संलग्नक "C"	13-16
6.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्नक "D"	17
7.	वार्षिक टर्न ओवर संलग्नक "E"	18
8.	भोजन (मीनू) की सूची संलग्नक "F"	19-20
9.	स्व घोषणा प्रमाण पत्र संलग्नक G	21
10.	स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्नक H	22-26

नोट :- सम्पुर्ण निविदा तथा BOQ देवनागरी लिपी हिन्दी के फोन्ट से लिखित है:-**DevLys 010 (कमअस्ले 010)**



राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534

क्रमांक:-एफ-49(10)टेन्डर/केन्टीन/2015-16/पार्ट-III/9909

दिनांक:- 16/9/16

-: निविदा सूचना :-

संस्थान स्थित केन्टीन के संचालन सेवा प्रदान करने हेतु पंजीकृत अनुमती ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य	अनुमानित लागत लाखों में	धरोहर राशि रु. में	निविदा फार्म राशि रु. में	ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि रु. में	ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउनलोड करने की तिथि	ऑनलाइन निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	ई-टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	24 घंटे X 7 दिन केन्टीन संचालन	50 लाख रुपये	100000	1000	500	16.09.2016 दोपहर 04:00 बजे से	30.09.2016 सांय 06.00 बजे तक	01.10.2016 दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान कमरा नं. 101

उपरोक्त सेवा कार्य आपुर्ति के लिए ठेकेदारों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर की वेबसाइट

www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in और

eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-टेण्डर को अपलोड करने की अंतिम तिथि 30.09.2016 सांय 06.00 बजे तक किया जा सकता है। निविदादाता फर्म को धरोहर राशि का डी डी अथवा बैंकर्स चैक जो निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय एवं ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि का डी डी अथवा बैंकर्स चैक MD RISL payable at Jaipur का संलग्न करना अनिवार्य होगा जो दिनांक 29.09.2016 को दोपहर 04.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करा देंवें। बिना धरोहर राशि एवं ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए किसी भी भाग अथवा पूर्ण निविदा को रद्द करने अथवा प्राप्त निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर

नोट :- सम्पूर्ण निविदा तथा BOQ देवनागरी लिपि हिन्दी के फोन्ट से लिखित है:-DevLys 010 (कमअस्ले 010)



५

निविदादाता हेतु निर्देश

1. यह निविदा होटल, रेस्टोरेन्ट व्यवसायी, केटर्स एवं पंजीकृत अनुभवी केन्टीन संचालकों से आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले आवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करें।
3. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी. /जी. एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011)के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस. एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
4. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट या बैकर्स चैक निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर नाम के नाम देय होगा।
5. निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा:-
 - अ निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक शुक्रवार 16 सितम्बर, 2016 समय दोपहर 04:00 बजे से शुक्रवार 30 सितम्बर 2016 सायं 4:00 बजे तक होगी।
 - ब निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> शुक्रवार 30 सितम्बर 2016 सायं 6.00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक शनिवार 01 अक्टूबर 2016 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी।

स निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क सम्बन्धित निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में गुरुवार 29 सितम्बर 2016 अपराह्न 4.00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।

द सम्बन्धित निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में संवेदक द्वारा शुक्रवार 16 सितम्बर, 2016 समय दोपहर 04:00 बजे से शुक्रवार 30 सितम्बर 2016 अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सुचना तथा निविदाकर्ता का पात्रता, विभिन्न कार्यों की मात्रा का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।

6. निविदा खोलने की दिनांक से 120 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

7. निविदादाता इन प्रपत्रों को download कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या बैकर्स चैक के रूप में सम्बन्धित निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।

8. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

9. ई-टेण्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देशः—

अ. निविदा में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट "<http://www.eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड (download) कर सकते हैं।

ब. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट "<http://www.eproc.rajasthan.gov.in>" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट – 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पुर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

- द. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेंगी।
 य. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पुर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
 र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार संस्थान नहीं होगा।
 ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपुर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।

- 10.** निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राप्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बिक्री कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियां आवश्यक रूप से निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
- 11.** निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डिमान्ड ड्राप्ट प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग देय होंगे। अगर एक डिमाण्ड ड्राप्ट को एक से अधिक निविदा में अपलोड करना पाया गया तो निविदा दाता को इन सभी निविदाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
- 12.** यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएँ खोली जाएंगी। निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश पोस्ट क्वालिफिकेशन में रेसपोन्सिव निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई-मेल से दी जावेंगी। निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
- 13.** वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र BOQ में प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय निविदा भरते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि दरें व्यवहारिक हों एवं दी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के अनुरूप हों। कार्यादेश देने के बाद में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जावेगा एवं गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने पर कैंटीन संचालक के साथ किया गया करार समाप्त कर प्रतिभूति राशि (परफॉर्मेंस सिक्योरिटी) जब्त कर ली जावेगी।
- 14.** यह निविदा पूर्णतया क्वालिटी बेस्ड अर्थात् गुणवत्ता आधारित है जिसका निर्धारण तकनीकी निविदा में प्राप्त हुए गुणवत्ता मापदंडों में निविदा दाता को प्राप्त होने वाले अंको के आधार पर किया जाना है। अतः तकनीकी निविदा केवल मेरिट सूची में प्रथम तीन रहने वाले निविदा दाताओं की ही खोली जायेगी। यदि प्रथम स्थान पर तीन या अधिक निविदादाता आ जाते हैं तो इसके आगे के सभी निविदादाताओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी। इसी प्रकार यदि प्रथम स्थान पर एक व



दूसरे स्थान पर दो या अधिक अथवा प्रथम स्थान पर दो एवं दूसरे स्थान पर एक या अधिक निविदा दाता आ जाते हैं तो इसके आगे के निविदादाताओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी। इसी प्रकार प्रथम व द्वितीय स्थान पर एक एवं तृतीय स्थान पर एक या अधिक निविदादाता आ जाते हैं तो इनके अतिरिक्त किसी अन्य की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी।

15. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत डाक द्वारा संपर्क किया जा सकें। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सकें।
16. समस्त दरें, कर आदि यदि कोई हो तो सम्मिलित करते हुये होगी। निविदा में वर्णित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
17. निविदाकार जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत निविदाकार के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्हीं परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली निविदाकार से की जावेगी।
18. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
19. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
20. निविदा प्रपत्र में प्रत्येक कॉट-छॉट पर निविदादाता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
21. निविदा स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त निविदा कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (अद्योहस्ताक्षर करता) को होगा।
22. सम्पूर्ण निविदा पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उल्लेखित नियम प्रभावी होंगे एवं अनुबन्धक व कार्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।
23. निविदायें उनके खुले जाने एवं पात्र निविदादाता के द्वारा अनुबन्ध किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।



८

- 24.** निविदादाता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस निविदा की समस्त शर्तें/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तें विवरण स्वीकार कर हस्ताक्षर किये हैं।
- 25.** निदेशक किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक की सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।
- 26.** निविदादाता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर एवं सत्यापन हेतु डाक्यूमेंट।
 - कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - नगर निगम जयपुर या अन्य सक्षम अधिकारी/सरकारी कार्यालय/संस्था द्वारा जारी फूड लाईसेन्स की वैध प्रति।
- 27.** निविदादाता दर संविदा को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।
- 28.** निविदादाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनहर्ता होगी।
- 29.** यदि निविदा के संबंध में संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा निविदा को पास कराये जाने संबंधी कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाना निविदादाता का दायित्व होगा।

निदेशक

तकनीकी निविदा

संलग्नक "A"

घोषणा पत्र व चैकलिस्ट

(यह नोटराइज्ड होना चाहिए)

मैं/हम (निविदादाता का नाम) का कार्यालय घोषणा करते हैं

कि मैं/हम निविदा के सभी शर्तें एवं नियम पढ़ लिया गया है। जो कि निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा निविदा में दिये गये हैं तथा उल्लेखित सभी शर्तों, नियमों व नीचे दिये गये ग्रेडिंग/मेरिट सिस्टम का पालन करने हेतु सहमत हैं।

मैं/हम होटल रेस्टोरेंट व्यवसायी/कॅंटर्स/ पंजीकृत केन्टीन ठेकेदार के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु सहमत हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों को बोली वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध रहने कि घोषणा करते हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में समान प्रकार व गुणवत्ता की दी गई सेवाओं की दर से अधिक नहीं है की घोषणा करते हैं।

क्र. सं.	विवरण	संलग्न हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या	मेरिट हेतु प्राप्तांक (कमेटी द्वारा भरा जावे)
1.	अमानत राशि रु. 60000/- चैक/ड्राफ्ट सं.			0/05
2.	वैध फूड लाइसेंस की प्रति			0/10
3.	वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.आई. /अन्य समकक्ष)			0/10 (1 अंक प्रति प्रमाण पत्र अधिकतम 10)
4.	पैन कार्ड की प्रति			0/01
5.	प्रोपराइटर फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनी/अन्य की स्थिति में वर्ष 2015–16 की सर्विस टैक्स विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति			0/10
6.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति			0/02
7.	प्रोपराइटर फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनी/अन्य की स्थिति में वर्ष 2015–16 की आयकर विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति			0/10
8.	वैट/सेल्स/शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन की प्रति			0/02
9.	प्रोपराइटर फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनी/अन्य की स्थिति में वर्ष 2015–16 की वैट विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा			0/10

	सत्यापित प्रति			
10.	हस्ताक्षरित मूल निविदा फार्म मय संलग्नक "A से H तक"			0-8 (1 अंक प्रति संलग्नक)
11.	कार्य अनुभव विवरण मय प्रमाण पत्र संलग्नक "D"			1 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 10 अंक
12.	टर्नओवर विवरण (संलग्नक "E")			0 / 10
13.	निविदादाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नहीं है। इसका शपथ पत्र 10रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "G")			0 / 10
	कुल प्राप्तांक			

1. सफल निविदादाता को 50 अंक प्राप्त करने अनिवार्य है।
2. वित्तीय निविदा न्यूनतम केवल प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की खोली जाएंगी।

तकनीकी निविदा

संलग्नक "B"

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर-302004

फोन नं. 2706496, 2701938, फैक्स नं. 2706534

कार्यालय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन परिसर में केन्टीन व्यवस्था हेतु
निविदादाता द्वारा प्रस्तुत विवरण

1. निविदा शुल्क जमा कराये जाने का विवरण क्रमांक दिनांक राशि

1.	निविदादाता फर्म/संस्था का नाम	
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता	
3.	दूरभाषः कार्यालय निवास मोबाइल ई-मेल	
4.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी या पंजीकृत संस्था (संलग्नक H)	
5.	फर्म के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता	
6.	(अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	नाम— पता—
	(ब) किस हैसियत (यथा मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/सचिव) से हस्ताक्षर किये हैं?	मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/ सचिव
	(स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया हैं?	हैं/नहीं?

निविदादाता के हस्ताक्षर

नोट :- सम्पूर्ण निविदा तथा BOQ देवनागरी लिपी हिन्दी के फोन्ट से लिखित है—DevLys 010 (कमआरले 010)



7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	मो.नं. दूरभाष नं. पता—
8.	अनुभव का विवरण (क) कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें संस्थान का नाम, अवधि का स्पष्ट विवरण हो	संलग्न है/संलग्न नहीं है।
9.	संलग्न अमानत राशि का विवरण	जमा करा दी गई है/ नहीं कराई है। जमा कराने का माध्यमः— बैंकर चैक सं...../नकद रसीद सं.....
10.	निविदादाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नहीं है। इसका शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें। (संलग्नक G)	संलग्न है/संलग्न नहीं हैं
11.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ वैध फूड लाइसेन्स (अनुज्ञापत्र)	संलग्न है/संलग्न नहीं हैं
12.	पेन नम्बर की फोटो कॉपी	संलग्न है/संलग्न नहीं हैं
13.	सर्विस टेक्स नं./टिन नं.	संलग्न है/संलग्न नहीं हैं

उपर्युक्त जानकारीयाँ सही व तथ्यों पर आधारित हैं। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियाँ प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने क्रमांक 5 से 13 तक सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय स्टाम्प
नाम व पता मय दूरभाष नं.

तकनीकी निविदा

संलग्नक "C"

कार्यालय भवन एवं परिसर की केन्टीन व्यवस्था हेतु निविदा व संविदा की शर्ते एवं नियम

1. निविदाकार स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा विभाग की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुंचाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति निविदादाता से की जावेगी।
2. यदि निविदाकार के कार्य से संस्थान के किसी अनुभाग में कोई भी शिकायत आने पर सही पाई गई, तो ठेकेदार के बिल भुगतान में से, शिकायत की गंभीरता के अनुरूप राशि काट ली जावेगी।
3. निविदादाता को अनुबंध के सात दिवस में संस्थान में कैन्टीन संचालन हेतु फूड लाइसेंस हेतु आवेदन कर लाइसेंस संस्थान को उपलब्ध कराना होगा।
4. अनुबंध की समस्त शर्तों की पालना के अधीन, ठेकेदार को सही प्रारूप में व तीन प्रतियों में मासिक तौर पर बिल प्रस्तुत करने पर विभाग चैक ड्राफ्ट के जरिये भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत पर कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जावेगी। जिसका विभाग द्वारा ठेकेदार को आयकर (टीडीएस) जमा का फार्म (16 ए) दिया जायेगा।
5. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
6. उक्त कार्य के सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से हो जाती है तो उसके लिए यह कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा, और ना ही इस कार्यालय का किसी प्रकार का कोई दायित्व/जिम्मेदारी होगी। इस बाबत समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म (अनुबंधक) की ही होगी।
7. भोजन बनाने हेतु वाणिज्य गैस सिलेन्डर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
8. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में लंच ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले लंच की व्यवस्था करनी होगी।
9. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में टी ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले ही चाय आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर करनी होगी।
10. निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण स्थल के हॉस्टल मैस पर लंच/डिनर की व्यवस्था नहीं करने पर अनुबंधक की रिस्क एवं कोस्ट पर संस्थान द्वारा अन्य फर्म से लंच/डिनर मंगवाया जा सकेगा, तथा संस्थान को इस सम्बन्ध में यदि कोई हानि होती है, तो आर्थिक हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व अनुबंध-कर्ता का होगा व संस्थान निविदादाता/अनुबंध-कर्ता से वसूली करेगा।

11. भोजन के निर्माण में एगमार्क उत्तम गुणवत्ता की साम्रगी का ही उपयोग किया जावेगा।
12. प्रदाय भोजन की साम्रगी सम्पूर्णतः निविदा विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं होने पर स्वीकार नहीं होगी।
13. अपरिहार्य एवं प्रशासनिक कारणों से निर्धारित कार्यक्रम परिवर्तित या रद्द किया जा सकता है।
14. संस्थान द्वारा गठित एक कमेटी कार्यादेश से पूर्व भोजन की गुणवत्ता व स्वाद का जायजा ले सकती है। केवल सही (संतोषजनक) पाये जाने पर ही सफलतम निविदादाता को कार्यादेश दिया जावेगा।
15. निर्देशानुसार कार्य सम्पादित नहीं करने पर या किसी प्रकार असफल रहने पर किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं अन्य स्त्रोतों से पूर्ति करने के कारण संस्थान को हुई आर्थिक क्षति के लिये निविदादाता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।
16. स्वीकृत निविदादाता द्वारा प्रयुक्त खाद्य सामग्री व किचन की जॉच/निरिक्षण हेतु यह कार्यालय स्वतंत्र होगा।
17. उक्त दरों में समान लाने ले जाने एवं कार्य स्थल पर हैण्डलिंग की दर भी सम्मिलित है। समान/वस्तुओं की टूट फूट या गुम हो जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
18. दरों में समस्त प्रकार के कर ब्रिकी कर/वैट/सेवा कर सम्मिलित होगे।
19. बिल में वैट वाणिज्यिक कर नियम 38(10), सर्विस टेक्स प्रचलित नियमानुसार अंकित करना होगा।
20. प्रशिक्षण की तिथि एवं अवधि एक दिन पूर्व सूचित की जावेगी। संस्थान के द्वारा सूचित किये जाने की संख्या अनुसार सुबह की चाय/नाश्ता/लंच/डिनर उपलब्ध कराना होगा। समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकने अथवा गुणवत्ता सही नहीं होने की स्थिति में उस दिन के सम्बन्धित कार्यादेश के विरुद्ध कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. यदि प्रतिभागियों द्वारा एक माह में तीन बार से अधिक गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत की जाती है तो अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।
22. भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती प्रचलित नियम अनुसार की जायेगी। पेन नम्बर, टिन नम्बर लिखना अनिवार्य है, इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। सम्बन्धित पत्रों/प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करें।
23. सफल निविदादाता को 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।



24. भुगतान हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण बैच की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नियमानुसार कुल चाय, नाश्ता एवं भोजन आदि का बिल प्रस्तुत किया जायेगा। जांच पश्चात् निविदा की शर्तानुसार सही होने पर भुगतान किया जायेगा।
25. खाने के उपयोग में लिया जाने वाला खाद्य तेल ब्रांडेड मूँगफली/सरसों का होगा। धी केवल गाय का देशी धी ही होना चाहिये तथा मसाले बेसन, चावल, पोहे एवं अन्य खाद्य सामग्री ऐसा मार्का की होगी।
26. विवादास्पद स्थिति होने पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर को निविदा शर्तों के अनुसार निर्णय कर आवश्यक कटौति, भुगतान ना करने व वसूली करने का अधिकार रहेगा। विवाद की स्थिति में निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
27. निविदादाता द्वारा भोजन आदि की आपूर्ति के फलस्वरूप यदि भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण से किसी प्रशिक्षणर्थी को कोई हानि होती है तो उसके लिये निविदादाता पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
28. समस्त विधिक कार्यवाहियों यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार, सरकार, या ठेकेदार द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।
29. यह निविदा वार्षिक दर अनुबन्ध के लिये ही है। आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार कभी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
30. निदेशक द्वारा गठित समिति/प्रधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कच्ची भोजन सामग्री/तैयार भोजन का निरीक्षण किया जा सकेगा।
31. असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद वापस लौटाई जा सकेगी।
32. करार व प्रतिभूति निक्षेप: सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार/अनुबन्ध पत्र रूपये 1000 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। अनुमानित लागत की पाँच प्रतिशत प्रतिभूति राशि रूपये 250000/- मात्र (बैंक ड्राफ्ट) जमा करानी होगी।
33. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना/धरोहर राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
34. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
35. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।
 - जब संविदा की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।



- जब निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण कार्य/गुणवत्ता संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
36. प्रतिभूति निक्षेप को सम्पहूत करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
37. अल्पाहार, भोजन (लंच एवं डिनर) के पश्चात् भोजन की टेबिल, कुर्सी की सफाई का कार्य भी निविदादाता द्वारा अपने स्त्रोतों (कार्मिकों) द्वारा कराया जायेगा।
38. अल्पाहार भोजन के पश्चात् भरे हुए कचरा पात्रों को खाली करके साफ कराने की व्यवस्था निविदादाता फर्म द्वारा ही कराई जायेगी।
39. संस्थान के स्टाफ को रियायती दर (अनुमोदित दर का 50.) पर भोजन, एवं नाश्ते की व्यवस्था कॉन्ट्रैक्टर को करनी होगी।
40. प्रशिक्षणार्थियों/कर्मचारियों को पीने के लिए मंगवाये गये पानी के कैम्पस को वाटर कूलरों में खाली करवाने का कार्य भी निविदादाता द्वारा अपने स्तर (स्त्रोत) से करवाना होगा।
41. संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार आउट साईड कैटरिंग जिले अथवा राज्य में कहीं भी करनी हो सकती है।
42. साप्ताहिक खाने के भीनू के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी।
43. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम एवं मोहर
डाक पता निवास स्थान एवं कार्यालय

मोबाइल न.
फोन न.



6

तकनीकी निविदा प्रपत्र

संलग्नक "D"

कार्यानुभव प्रमाण पत्र



१०

तकनीकी निविदा प्रपत्र

संलग्नक "E"

(फर्म के लेटर हैड पर)

वार्षिक टर्नओवर विवरण

औसत सकल वार्षिक टर्नओवर मैसर्स

पता गत तीन वर्षों के नीचे दिये गये
 वित्तीय विवरण सही और सत्य है, जो कि सत्यापन हेतु प्रस्तुत है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नआवर (लाख में) रुपये
1		
2		
3		
	कुल योग	रुपये लाख में

औसत सकल वार्षिक टर्नआवर

दिनांक:

निविदादाता के हस्ताक्षर

अंकेक्षक के हस्ताक्षर मय सील/चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

नाम:

पता:

मोबाइल नम्बर:

तकनीकी निविदा

संलग्नक "F"

साप्ताहिक भोजन मीनू की सूची

Days	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
Break fast	चाय/काफी दूध—कार्नफलेक्स स सेव, पपीता ब्रेड—आमलेट ब्रेड—बटर पोहा	चाय/काफी दूध— कार्नफलेक्स केला, पपीता परांठा — आलू गोभी (दही,अचार,सॉस)	चाय/काफी दूध— कार्नफलेक्स सेव , केला Sambhar-Idli ब्रेड— आमलेट ब्रेड— आमलेट or boiled egg	चाय/काफी दूध— कार्नफलेक्स पपीता केला ब्रेड— आमलेट बेसन / दाल चीला ब्रेड —बटर	चाय/काफी दूध— कार्नफलेक्स संतरा केला कटलेट—साबू दाना ब्रेड— आमलेट	चाय/काफी दूध— कार्नफलेक्स केला, पपीता पोहा Boiled Egg	चाय/काफी दूध—कार्नफलेक्स पाइनेपल केला आलू—पुडी ब्रेड —बटर
High Tea	चाय/काफी Wafers नारियल बर्फी कचौरी/ समोसा	चाय/काफी बिस्कुट सादा बर्फी बैंड पकौड़ा	चाय/काफी Wafers नारियल बर्फी कचौरी/ समोसा	चाय/काफी बिस्कुट सादा बर्फी बैंड पकौड़ा	चाय/काफी बिस्कुट नारियल बर्फी कचौरी/ समोसा	चाय/काफी बिस्कुट सादा बर्फी बैंड पकौड़ा	चाय/काफी बिस्कुट नारियल बर्फी कचौरी/ समोसा
Lunch	टमाटर सूप चपाती दाल मखानी मेथी आलू मलाई कोफता बूंदी का रायता जीरा राईस पोला पापड नारियल की बर्फी सलाद	कोर्न सूप चपाती अरहर दाल आलू पालक कढाही पनीर पाइनेपल रायता वेजीटेबल पुलाव सादा पापड खीर	टमाटर सूप चपाती/मिस्सी मूंग दाल आलू—फूल गोभी स्टफ टोमेटो वेजीटेबल रायता जीरा राईस पोला पापड प्लेन बर्फी	वेजीटेबल सूप चपाती मिक्स दाल आलू बैंगन शाही पनीर बूंदी का रायता मटर पुलाव सादा पापड हलवा सलाद कचूमर	कोर्न सूप चपाती राजमा Matar mangodi दम आलू लौकी/ खीरे रायता प्लेन राईस	टमाटर सूप चपाती धुली उड्डद दाल Mix Veg गटटा मसाला जीरा पुदीना रायता मटर पुलाव सादा पापड	वेजीटेबल सूप चपाती छोलं आलू शिमला—मिर्च पालक पनीर बूंदी का रायता प्लेन राईस पोला पापड राजभोग

निविदादाता के हस्ताक्षर

नोट :- सम्पूर्ण निविदा तथा BOQ देवनागरी लिपी हिन्दी के फोन्ट से लिखित है—DevLys 010 (कमआस्ले 010)



	कचूमर	सलाद गोल	सलाद गोल		रसगुल्ला	जामुन	सलाद गोल
	सलाद - सिरका प्याज, मिर्च, नींबू खीरा / ककड़ी, टमाटर, चटनी, अचार						
Evening Tea	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट
Dinner	वेजीटेबल सूप	टमाटर सूप	कोर्न सूप चपाती	टमाटर सूप	वेजीटेबल सूप	टमाटर सूप	कोर्न सूप चपाती
	चपाती धुली	चपाती कढ़ी	दाल पालक	चपाती दाल	चपाती मूंग	चपाती दाल	काली उड्डद दाल
	उड्ड लौकी	पकोड़ा गाजर	आलू प्याज	मखानी गाजर	दाल	अरहर	न्यूट्रीला नगेट्स
	स्टफ टोमेटो	मेथी दम आलू	काले चने ग्रेवी	मेथी गटटा	पत्तागोभी	आलू-फूल	छोले मसाला
	वेजीटेबल रायता	बूंदी का रायता	जीरा पुदीना	मसाला	मटर लौकी	गोभी मटर	पाईनेपल रायता
	चपाती सादा	चपाती पोला	रायता चपाती	पाईनेपल	कोफता बूंदी	पनीर	चपाती सादा
	पापड जीरा	पापड प्लेन राईस	पोला पापड	रायता चपाती	का रायता	वेजीटेबल	पापड जीरा
	राईस हलवा	आईसकीम सलाद	जीरा राईस	सादा पापड	चपाती सादा	रायता चपाती	राईस मिल्क कैक
	सलाद गोल	गोल	मूंगथाल सलाद	प्लेन राईस	पापड जीरा	पोला पापड	सलाद कचूमर
सलाद - सिरका प्याज, मिर्च, नींबू खीरा / ककड़ी, टमाटर, चटनी, अचार							

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम.....
पता निवास स्थान एवं कार्यालय

मोबाईल न.
फोन न.



**तकनीकी निविदा प्रपत्र
स्व: घोषणा प्रमाण पत्र**

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

मेरी /हमारी संस्था (एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंम्पनी) द्वारा प्रमाणित किय जाता है कि किसी भी स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा निजी संस्थाओं से अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित नहीं कि गई है इसके उपरान्त भी अगर कोई विलेख मेरी /हमारी संस्था की अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो उसके परिणाम तथा दुष्परिणाम हेतु मेरी /हमारी संस्था जिम्मेदार होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

निविदादाता का नाम

दिनांक

स्थान



तकनीकी निविदा प्रपत्र

संलग्नक "H"

स्वामित्व प्रमाण पत्र

(10 रु के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी)

मैं/हम..... मैं एकल स्वामित्व/साझेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 मेसर्स.....

एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/ सार्वजनिक/ निजी लिमिटेड कंपनी के
 एकमात्र मालिक जो कि अधिकृत कार्यालय स्थित

(पूरा पता) जो कि सही होने कि घोषणा करते हैं:-

1. कि मैं मेसर्स का एक मात्र मालिक हूँ

अथवा

कि हमारी मेसर्स साझेदारी फर्म है जिसके
 तहत साझेदारों के पूरा नाम निम्न हैं/
 (अ)
 (ब)
 (स)
 (द)

अथवा

कि हमारी कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के प्रावधानो के
 अन्तर्गत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।

यदि स्वामित्व के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/साझेदारी फर्म का साझेदारी
 विलेख/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड का ज्ञापन ओर एसोसिएशन का प्रलेख
 प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिस पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशकों
 में से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न किया जाना चाहिए



2. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मेसर्सआज दिनांक में प्रस्तुत निविदा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची में अथवा कार्य में अयोग्य नहीं पाई गई है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा की जाती है
3. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मेसर्सआज दिनांक में प्रस्तुत निविदा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवेध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा की जाती है
4. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते हैं तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी कि गई निविदाओं में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नहीं होगे
5. मैं शपथ पत्र में पूर्ण स्वस्थ चित के साथ कसम खाता हूँ की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामि के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

सत्यापन हेतु.....पर.....दिये गये अनुच्छेद 1 से
5 शपथ पत्र में सही ओर ठीक है तथा कोई भी बिन्दु गलत नहीं हैं तथा ना ही कुछ छुपाया अथवा झूठा विवरण दिया गया है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामि के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

नोटरी के हस्ताक्षर मय मोहर